राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

क्रमांक:प.12(3)( )राजस्व / 2017 / दिनांक :

—:: आदेश ::—

यतः राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक : 1 (533) राज.– 3 / 12 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा ग्राम काहला तहसील व जिला जैसलमेर के खसरा नम्बर 317 रकबा 137–15 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 136–05 बीघा किस्म बंजड़ राजकीय में से क्रमशः रकबा 40 व 20 कुल 60 बीघा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पर्यटन इकाई उद्योग की स्थापना हेतु आरक्षित किये जाने की सशर्त राजकीय स्वीकति प्रदत्त की गई है। साथ ही यह शर्त अंकित की है कि पर्यटन विभाग से प्रतिस्पर्धात्मक (Bidding) मापदण्ड के बारे में अभिमत प्राप्त होने पर Bidding प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया जायेगा।

अतः उक्त प्रदत्त राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में ग्राम काहला तहसील व जिला जैसलमेर के खसरा नम्बर 317 रकबा 137–15 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 136–05 बीघा किस्म बंजड़ राजकीय में से क्रमशः रकबा 40 व 20 कुल 60 बीघा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पर्यटन इकाई उद्योग की स्थापना हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशर्त आरक्षित की जाती है।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक : प0 1 (533) राज–3 / 12 जयपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2017 के द्वारा पर्यटन इकाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आरक्षित करने की राजकीय स्वीकृति जिस शर्त के साथ प्रदान की गई थी, उक्त शर्त के क्रम में राजस्व (ग्रप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 9 (130) राज–6 / 2016 / 01 दिनांक 13 जनवरी, 2017 के तहत नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

3310
18-4-17

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

क्रमांक / सम / 2017 / 1564-1571 दिनांक : 3/4/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आरक्षित भूमि का विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर।
4. जिला आसूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि आरक्षित भूमि का विवरण जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
5. तहसीलदार जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से मय म्यूटेशन, जमाबंदी एवं खसरा प्लान की एक – एक प्रति सहित एक सप्ताह में अवगत करावें।
6. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, जैसलमेर।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर।
8. गार्ड पत्रावली।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

Recd today 18-4-17

order Industry

ADVT (D)
JD (I)
12/4/17
JD (Grm)
13/4/17